सेवा में,

श्रीमान् कलेक्टर महो0,
जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0)

विषयः– श्रीमती अरनिमा जायसवाल, सहायक शिक्षक, ई0एल0बी0, प्रा0 शा0 चिमटीमार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के नियम विरुद्ध तरीके से प्रा0 शा0 बोरीडांड, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ में युक्तियुक्तकरण के संबंध में शिकयत पत्र।

महो0,

विषयांतर्गत लेख है कि विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की कॉउन्सिलिंग हेतु सूची जिला शिक्षा अधिकारी, जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) द्वारा दिनॉक 29/05/2025 को प्रकाशित की गयी थी। जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से श्रीमती अरनिमा जायसवाल, सहायक शिक्षक, ई0एल0बी0, प्रा0 शा0 चिमटीमार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को अतिशेष न करके उनके स्थान पर श्रीमती संध्या सिंह, सहायक शिक्षक, ई0एल0बी0, प्रा0 शा0 चिमटीमार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को अतिशेष दर्शाया गया, जबकि वह श्रीमती अरनिमा जायसवाल से प्रा0 शा0 चिमटीमार में सिनियर है। जिसकी बाद में श्रीमती संध्या सिंह द्वारा शिकायत की गयी तो श्रीमती अरनिमा जायसवाल को बाद में अतिशेष किया गया एवं इस मामले सहित अन्य इसी प्रकार की अनियमितता में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को निलंबित भी कर दिया है। इसके पश्चात् अतिशेष होने के बाद श्रीमती अरनिमा जायसवाल, सहायक शिक्षक, ई0एल0बी0, प्रा0 शा0 चिमटीमार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को आज दिनॉक तक उनके स्थान पर गलत तरीके से अतिशेष दर्शायी गयी श्रीमती संध्या सिंह, सहायक शिक्षक, ई0एल0बी0, प्रा0 शा0 चिमटीमार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को अतिशेष कॉउन्सिलिंग में आबंटित प्रा0 शा0 माडीसरई, विकासखण्उ भरतपुर का न तो नियुक्ति आदेश जारी किया गया और न ही उनको प्रा0 शा0 चिमटीमार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ से कार्यमुक्त किया गया बल्कि श्रीमती अरनिमा जायसवाल, सहायक शिक्षक, ई0एल0बी0 को गलत और भारी अनियमितता करते हुये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला एम0सी0बी (छ0ग0) के आदेश क्रमांक/ 1666/ युक्तियुक्तकरण/ टी.संवर्ग/ 2025 दिनॉक 13/06/2025 के तहत् प्रा0 शा0 बोरीडांड, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ का आदेश जारी कर दिया है, जबकि प्रा0 शा0 बोरीडांड, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ का नाम विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की कॉउन्सिलिंग हेतु सूची जिला शिक्षा अधिकारी, जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) द्वारा दिनॉक 29/05/2025 को प्रकाशित की गयी सूची में था ही नहीं। जो कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में की गयी भारी गडबडी को दर्शाता है एवं अन्य शिक्षकों के साथ किये गये अन्याय को भी दर्शाता हैं।

अतः महो0 जी विनम्र निवेदन है कि उपरोक्तानुसार श्रीमती अरनिमा जायसवाल, सहायक शिक्षक, ई0एल0बी0 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला एम0सी0बी (छ0ग0) के आदेश क्रमांक/ 1666/ युक्तियुक्तकरण/ टी.संवर्ग/ 2025 दिनॉक 13/06/2025 द्वारा जारी प्रा0 शा0 बोरीडांड, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के गलत, नियम विरुद्ध और भारी अनियमितता करते हुये जारी युक्तियुक्तकरण को तत्काल निरस्त किया जाये अन्यथा इस मामले की याचिका आवेदनकर्ता माननीय उच्च न्यायालय में दायर करने के लिये बाध्य होगें तथा अन्दोलन करने के लिये भी बाध्य होंगे, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन--प्रशासन की होगी।

दिनॉक – 19/06/2025।

आवेदक

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राजपाल महोदय, छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. माननीय शिक्षा मंत्री जी, छ0ग0 शासन की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी महो0, जिला – एम.सी.बी. (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी महो0, विकासख्ण्ड मनेन्दगढ़, जिला -- एम.सी.बी. (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– एम.सी.बी. (छ.ग.)

क्र./1666/युक्तियुक्तकरण/टी संवर्ग/2025 दिनांक 13/06/2025

:: आदेश ::–

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के आदेश पत्र क्र.एफ 02–24/2024/20–तीन नवा रायपुर, दिनांक 28.04.2025 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 02.06.2024 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में रखने के लिए एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकित अतिशेष सहायक शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुमोदन पश्चात् जिला स्तर पर आयोजित काउंसलिंग दिनांक 02.06.2025 में संबंधित अतिशेष सहायक शिक्षक द्वारा चुने गए संस्था या अनुपस्थित/संस्था नहीं चुनने की स्थिति में समिति द्वारा आबंटित संस्था अनुसार कॉलम नं 02 के अतिशेष शिक्षक को कॉलम नं 06 में दर्शित संस्था में युक्तियुक्तकरण के तहत आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान में पदस्थ संस्था	यूडाईस कोड	युक्तियुक्तकरण उपरांत पदांकित संस्था का नाम	यूडाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती अणिमा जायसवाल	सहा.शिक्षक	प्रा.शा.चिमटीभार वि.ख.–मनेन्द्रगढ़	22012311901	प्रा.शा.बीरीडांड वि.ख.–मनेन्द्रगढ़	22012302301

"कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला युक्तियुक्तकरण समिति द्वारा अनुमोदित"

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

शर्ते–

1. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही नवीन संस्था हेतु भारमुक्त माने जाएगें एवं इसके पश्चात् भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुपस्थित माने जाएगें व संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. यह आदेश युक्तियुक्तकरण नियमों के अधीन होगा।

10.06.025

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
जिला युक्तियुक्तकरण समिति
जिला–एम.सी.बी. (छ.ग.)

पृ.क्र./1667/युक्तियुक्तकरण/टी.संवर्ग/2025 दिनांक 13/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर,महोदय, जिला –एम.सी.बी. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, ... की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला –एम.सी.बी.की ओर सादर सूचनार्थ।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.............................. को सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रधान पाठक, ... को सूचनार्थ।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.................................... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10.06.025

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
जिला युक्तियुक्तकरण समिति
जिला–एम.सी.बी. (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमती अर्चिता जायसवाल
सहायक शिक्षक ए. के.
प्राथमिक विद्यालय [illegible]

मुक्ति मुक्तिकरण [illegible]
[illegible] संबंध ।

[illegible] शिक्षा अधिकारी, जिला - एम० सी० बी० (छ०ग०) के आदेश क्रमांक 1666 / मुक्ति मुक्तिकरण / [illegible] 2025 मनेन्द्रगढ़, दिनांक - 13/06/2025

उपरोक्त विषय अन्तर्गत संदर्भित पत्र के आदेश के अनुक्रम में श्रीमती अर्चिता जायसवाल प्रा० शा० [illegible] का मुक्ति मुक्तिकरण हेतु [illegible] प्रा० शा० [illegible] मनेन्द्रगढ़ किये जाने के उपरांत आज दिनांक - 18/06/2025 को संस्था का सम्पूर्ण प्रभार सौंपते हुये, विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय मनेन्द्रगढ़ हेतु इस संस्था से कार्यमुक्त किया जाता है।

[signature] 18/06/25

प्रतिलिपि

(1) श्रीमान् विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

[signature] 18/06/25

प्राप्त किया
A Jaiswal
18/06/2025

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़,जिला–एम0सी0बी0 (छ0ग0)

//नोट शीट//

अधिकारी का नाम :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल, वि.ख.शि.अधि. मनेन्द्रगढ

प्रकरण का प्रकार :– युक्तियुक्तकरण अतिशेश के संबध में।

नोट शीट क्रं. :– 1

00

विषयः– श्रीमती संध्या सिंह, सहायक शिक्षक, शा.प्रा.शा.चिउटीमार, वि.ख.–मनेन्द्रगढ युक्तियुक्तकरण पश्चात् पदाकिंत संस्था–माड़ीसरई,वि.ख.–भरतपुर, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबध में।

प्रस्तुत दिनांक :– 04.06.2025

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर के आदेश पत्र क्र.एफ 02–24/2024/20–तीन नवा रायपुर, दिनांक 28.04.2025 एवं समयंख्यक आदेश दिनांक 02.08. 2024 में दिये गये निर्देशानुसार विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हाकिंत अतिशेष शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुमोदन पश्चात् जिला स्तर पर आयोजित सहायक शिक्षकों/प्रधान पाठकों की काउंसलिंग दिनांक 02.06.2025 में संबधित अतिशेष सहा.शिक्षक द्वारा युक्तियुक्तरण से असहमत होने की स्थिति में समिति द्वारा श्रीमती संध्या सिंह, सहायक शिक्षक, प्रा.शा.चिउटीमार को शा.प्रा.शा.माड़ीसरई, वि.ख.–भरतपुर पदाकिंत किया गया है।

संबधित शिक्षिका को जिला शिक्षा अधिकारी, महोदय के आदेश क्रं०/1267/युक्तियुक्तरण/टी संवर्ग/2025, दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से नवीन पंदाकित संस्था शा.प्रा.शा.माड़ीसरई, वि.ख.–भरतपुर हेतु आदेशित कर आदेश तामिल कराये जाने हेतु इस कार्यालय को आदेश की मूल प्रति उपलब्ध कराई गई। उक्त आदेश संबधित शिक्षिका को तामिल कराये जाने पर संबधित शिक्षिका ने आदेश लेने से इंकार कर दिया गया एवं लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि युक्तियुक्तकरण में मेरा नाम दिया गया है जो कि गलत है, मुझसे जूनियर सहा.शि. श्रीमती अर्णिमा जायसवाल शाला में पदस्थ है।

प्रा.शा.चिउटीमार की दर्ज संख्या–20 शासन द्वारा युक्तियुक्तरण हेतु जारी नियमानुसार 01 प्रधान पाठक व 01 सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत, स्वीकृत पद के विरूद्ध 01 प्र.पा. व 02 सहायक शिक्षक निम्नानुसार कार्यरत –

क्रं.	शिक्षक का नाम	पद	संस्था में कार्यभार ग्रहण तिथि	रिमार्क
1	श्री संतोष कुमार श्याम	प्रधान.पाठक	27-12-2022	
2	अर्णिमा जायसवाल	सहा.शिक्षक	08-02-2011	पदभार ग्रहण आवेदन अवलोकनाथ संलग्न (P-1)
3	संध्या सिंह	सहा.शिक्षक	12-02-2011	पदभार ग्रहण आवेदन अवलोकनाथ संलग्न (P-2) नियमानुसार अतिशेष

छ.ग. शासन द्वारा युक्तियुक्तरण के संबध में उपरोक्तानुसार जारी गाईडलाईन एवं सचिव महोदय द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए संस्था में अंतिम पदभार ग्रहण किये जाने वाली शिक्षिका संध्या सिंह को अतिशेष की सूची में शामिल किया गया। अतः संबधित शिक्षिका का आवेदन निराधार होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदय जी के समक्ष–

अवलोकनार्थ, आदेशार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
मनेन्द्रगढ

जिला शिक्षा अधिकारी महोदय
एम.सी.बी.(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner